विवि में हुई ऑनलाइन कार्यशाला

आईपीआर कानून के दायरे में हो नवाचार: करवंदे

हरिभूमि न्यूज ▶▶ जगदलपुर

शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में शनिवार को अर्थशास्त्र अध्ययनशाला द्वारा इंटेलेक्टुअल प्रोपर्टी राइट्स(आईपीआर) एंड आईपी मैनेजमेंट फॉर स्टार्टअप विषय पर ऑनलाइन वर्कशाप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ कॉलेज, रायपुर के विधि विभाग में सहायक प्राध्यापक डॉ. भूपेंद्र करवंदे ने स्टार्टअप और इनोवेशन को लेकर आईपीआर, ट्रेडमार्क, पेटेंट, जीआई टैग, डिजाइन एक्ट के विभिन्न पक्षों की विस्तृत जानकारी दी।

इस अवसर पर डॉ. करवंदे ने बताया कि 2016 में जब से भारत सरकार ने रचनात्मक भारत और अभिनव भारत नाम से पहल शुरू की है तब से देश में आईपीआर के प्रति विशेष जागरूकता आई है। डॉ. करवंदे ने कहा कि चल-अचल संपति की तरह बौद्धिक संपत्ति का भी बहुत महत्व होता है। इसका संरक्षण भी जरूरी है। आईपीआर किसी वस्तु, विचार और रचना का श्रेय और लाभ लेने का अधिकार देता है।

डॉ. करवंदे ने बताया कि वैश्विक स्तर कॉपीराईट कानून ब्रिटेन में अठारहवीं शदी के पूर्वाद्ध में ही बन गया था पर स्वतंत्र भारत में 1957 में कॉपीराइट अधिनियम बना। यह कॉपीराईट कानून किसी भी लेखन की संरचना, शैली और उसकी अभिव्यक्ति

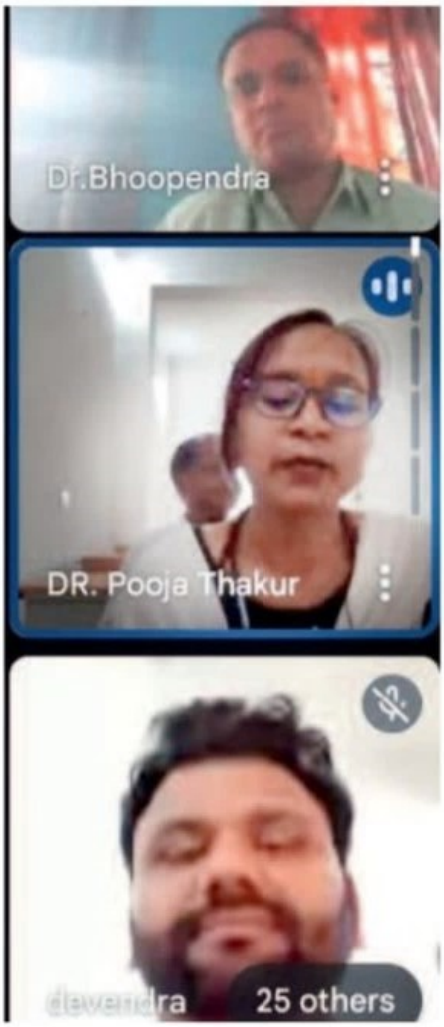

को संरक्षित करता है। समाज में ज्ञान का संचार होना ही चाहिए। कॉपीराइट कानून ज्ञान को एक जगह रोकने की बात नहीं करता है। आईआईसी क्वार्टर तीन एवं पीएम उषा मेरू कंपोनेंट गतिविधि के तहत हुए इस ऑनलाइन कार्यशाला में डॉ. तुलिका शर्मा, डॉ. रश्मि देवांगन, पूजा ठाकुर, शेर सिंह घृतलहरे, डॉ नीरज कुमार वर्मा, गौरी देवाँगन, देवेन्द्र कुमार यादव, राहुल सिंह, डॉ. भेनु, सुश्री नीलम एवं छात्र-छात्राएँ शामिल हुए।

एकेडमिक क्षेत्र में पीएचडी नवाचार को प्रस्तुत करने का तरीका

डॉ. करवंदे ने कहा कि एकेडमिक क्षेत्र में पीएचडी नवाचार को प्रस्तुत करने का ही एक तरीका है। पीएचडी की तरह अन्य नवाचार में कॉपीराईट कानून की अवहेलना नहीं होना चाहिए। नवाचार आईपीआर कानून को दायरे में होना चाहिए। सन 1970 में आए पेटेंट अधिनियम के बारे में डॉ. करवंदे ने बताया कि आप किसी प्रोडक्ट का 20 वर्षों की निर्धारित सीमा तक पेटेंट करा सकते हैं। पेटेंट ट्रांसफर और सेल भी हो सकता है।

डॉ. करवंदे ने कहा कि ट्रेडमार्क आपके प्रॉडक्ट की न केवल पहचान, उत्पत्ति और ख्याति को व्यक्त करता है बल्कि प्रचार भी करता है। ट्रेडमार्क से प्रोडक्ट के ब्रांड की सूचना मिलती है। उसका स्टैंडर्ड पता चलता है।